

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग-4
संख्या- /XX-4/2018-4(कारा0)/2016
देहरादून : दिनांक 27 सितम्बर, 2018

कार्यालय आदेश

उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) के अध्याय-25 के प्रस्तर-674 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में उत्तराखण्ड राज्य के प्रत्येक जनपद, जिनमें जिला कारागार / खुली कारागार/केन्द्रीय कारागार/उप कारागार स्थित है, हेतु शासकीय एवं अशासकीय पर्यवेक्षकों को संगठित कर निम्नानुसार पर्यवेक्षकों की परिषद (The Board of Visitors) का गठन किया जाता है :-

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------|---|--------------------|
| 1. जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश | } | शासकीय पर्यवेक्षक |
| 2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ परिक्षेत्र | | |
| 3. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गढ़वाल/कुमाऊँ परिक्षेत्र | | |
| 4. जनपद के जिला मजिस्ट्रेट | | |
| 5. मा10 लोक सभा सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में जेल हैं | } | अशासकीय पर्यवेक्षक |
| 6. मा10 राज्य सभा सदस्य, जिनके निवास स्थान वाले क्षेत्र में जेल हैं | | |
| 7. मा10 विधानसभा सदस्य, जिनकी सदस्यता क्षेत्र में जेल हैं | | |
| 8. राज्य सरकार द्वारा नामित अशासकीय पर्यवेक्षक जेलवार | | |


2- उक्त उल्लिखित पर्यवेक्षकों की परिषद (The Board of Visitors) हेतु सम्बन्धित जनपद के जिला मजिस्ट्रेट (जहां कारागार स्थित) को समन्वयक नामित किया जाता है, जो कि वर्ष में दो बार बोर्ड ऑफ विजिटर्स की बैठक आहूत किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रततर कार्यवाही करेंगे।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/सत्र न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊं परिक्षेत्र, पौड़ी/नैनीताल।
3. निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, पौड़ी/नैनीताल।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तराखण्ड।
5. निजी सचिव, मा0 लोक सभा सदस्य, जिनके निर्वाचन क्षेत्र में जेल हैं।
6. निजी सचिव, मा0 राज्य सभा सदस्य, जिनके निवास स्थान वाले, जिले में जेल हैं।
7. मा0 विधानसभा सदस्य, जिनकी सदस्यता क्षेत्र में जेल हैं।
8. राज्य सरकार द्वारा नामित अशासकीय पर्यवेक्षक (जेलवार) द्वारा महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
10. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
11. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
12. महानिरीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
13. समस्त वरिष्ठ अधीक्षक/अधीक्षक कारागार, उत्तराखण्ड।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(उदयवीर सिंह यादव)
अपर सचिव